

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व वाद संख्या : 37/2022 (मूल वाद संख्या 2031/1983)

वादी :-

1. मांगीलाल पुत्र सुखदेव के कायम मुकाम -
 1. धीरज चन्दक पुत्र ओमप्रकाश, जाति चन्दक माहेश्वरी निवासी- बगतावरमल जी का बाग, शनि चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर

ब न अ म

प्रतिवादीगण : -

हरदेव के कायम मुकामान -

1. पुखराज पुत्र स्व० श्री हरदेवराम जाट
2. दीपाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम जाट
3. रामाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
4. ओमाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
5. माधाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
6. गोपाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
7. सिणगारी पत्नी स्व० श्री हरदेवराम
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी (झंवर)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 90 सपठित धारा 92-ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बाबत् घोषणात्मक आज्ञापति व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : -

1. वादी की ओर से अधिवक्ता गुलाबसिंह चम्पावत व नरेश सोलंकी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता नवीन शर्मा, प्रेमकुमार देवड़ा।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वादीगण :-

- हरदेव के कायम मुकामान -
1. पुखराज पुत्र स्व० श्री हरदेवराम जाट
 2. दीपाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम जाट
 3. रामाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
 4. ओमाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
 5. माधाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
 6. गोपाराम पुत्र स्व० श्री हरदेवराम
 7. सिणगारी पत्नी स्व० श्री हरदेवराम

ब न म

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र सुखदेव के कायम मुकाम -
 1. धीरज चन्डक पुत्र ओमप्रकाश, जाति चन्डक माहेश्वरी निवासी- बगतावरमल जी का बाग, शनिश्चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर
 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : -

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता नवीन शर्मा, प्रेमकुमार देवड़ा उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता गुलाबसिंह चम्पावत व नरेश सोलंकी उपस्थित।

- : निर्णय : - दिनांक 10.09.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 90 सपठित धारा 92-ए के तहत प्रस्तुत किया जो कि उक्त वाद विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2006 द्वारा वादी का वाद डिकी कर दिया गया उक्त निर्णय एवं डिकी के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी जोधपुर के यहां अपील प्रस्तुत की अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2012 को अपील आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिकी को अपास्त कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अपीलांट-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावे का भी रेस्पोंडेंट के दावे के साथ निर्णय पारित किया जावे। प्रत्येक तनकी का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का स्पष्ट विवेचन करते हुए तनकी वाद निर्णय पारित कर तदुपरांत सम्पूर्ण वाद का निर्णय करे। न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी जोधपुर के आदेश की पालना मे दोनो वादो का निस्तारण माफिक रिमाण्ड आदेश के अनुरूप किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

वाद का संक्षिप्त विवरण :- कि प्रतिवादी पुखराज वगैरा के दादा आईदान पुत्र हिमता जाति जाट निवासी- ग्राम नारनाडी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा भूमि खातेदारी अधिकारों की आई हुई है उक्त भूमि में से रकबा 40 बीघा खातेदारी भूमि रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 04.06.1971 को वादी के पिता स्व0 मांगीलाल पुत्र सुखदेव जाति चाण्डक को बेचान कर दी जाकर बेचाननामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया गया एवं आगे कथन किया कि उक्त बेचाननामों में खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा में से पूर्व की तरफ के 40 बीघा जमीन खसरा संख्या 110 के कोने से लगाकर खसरा संख्या 114 तक आई हुई है उसे रूपये 4000/- अक्षरे चार हजार रूपये रोकड़े लेकर दिनांक 04.06.1971 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 374 पृष्ठ संख्या 327/332 क्रम संख्या 1190 सब रजिस्ट्रार जोधपुर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया तभी से वादीगण बहैसियत मालिक के काबिज है और वादीगण ही काश्त करते हैं भूमि के हद्द निम्न है :-

उत्तर में	-	खेत खसरा संख्या 111
दक्षिण में	-	खेत खसरा संख्या 113 व 114
पूर्व में	-	खेत खसरा संख्या 184
पश्चिम में	-	इसी खेत का खसरा संख्या 112 का हिस्सा

यह है कि बाद खरीद वादीगण के निजी खरीदी गई भूमि के पश्चिमी ओर एक बेरा खुदवाया जिसकी लागत 25000/- आई थी वादीगण के बेरा बंधवाई हौज बनवाई व मशीनी घर एवं विद्युत विभाग से नक्शे माफिक 15 होर्स पावर का बिजली का कनेक्शन भी सेंक्शन करवाया जाकर 15 होर्स पावर की एक मशीन लगवाई तथा वादी ने डीजल इंजन भी लगवाया व 30 होर्स पावर का कनेक्शन भी अपने नाम से करवाया जिसका अलग कुल 71504/- रूपये खर्चा आया । जिसका बिल व रसीदे पेश है ।

इसके बाद प्रतिवादी हरदेव द्वारा वादी (वादीगण) के बेरे व काश्त को देखकर उक्त बेरे से अपने खेत में पानी लेने की पेशकश की गई तथा प्रतिवादी के पूरे खेत में पानी के बदले वादी के खेत की फसल की निगरानी करने की शर्त पर पानी देना तय किया लेकिन प्रतिवादी हर वर्ष नुकसान का बहाना बनाकर वादी की काश्त की बढ़त की रकम को खेतों पर ही लगाना बताकर वादी को कुछ भी अदायगी नहीं की एवं वादी द्वारा बिजली बिल का पूरा भुगतान भी किया गया जिसकी रसीदे भी पेश की तथा प्रतिवादी ने वादा किया कि बेरा खुदवाई तथा बिजली के लिए आई लागत का आधा हिस्सा वादी को अदा करेगा लेकिन नुकसान का बहाना बनाकर भुगतान नहीं किया आगे कथन किया कि प्रतिवादी आईदान द्वारा खेत खसरा संख्या 112 रकबा 40 बीघा भूमि को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर देने के पश्चात वादी अपने हिस्से में खातेदारी हकों की घोषणात्मक डिक्री पाने का अधिकारी के साथ ही कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी का वाद बहुत ही प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है प्रतिवादी वादी को अपनी खरीदी भूमि में काश्त करने से रोकने पर वादी को अपूर्ण क्षति कारित होगी एवं वादकारण बमुकाम नारनाडी तहसील लूणी जोधपुर में पैदा हुआ जब प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या 112 रकबा 40 बीघा भूमि वादी को बेचान की गई एवं वादी ने बेरा खुदवाया, मशीने लगवाई तथा प्रतिवादी को वादी की खरीदी भूमि पर निगरानी रखने हेतु कहने और प्रतिवादी द्वारा वादी के साथ विश्वासघात किया तो उत्पन्न हुआ उक्त वाद को प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि वादी के सारे कथन झुठे व मनगढंत है प्रतिवादी द्वारा कभी भूमि का बेचान नहीं किया तथा न ही वादी द्वारा बेरा खुदवाया सभी कथन गलत है। वादी ने वाद पेश कर प्रार्थना की कि खेत खसरा नम्बर 112

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मे से दर्ज हदूद कि जमीन 40 बीघा का खातेदार घोषित करार किया जावे तथा वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा कि अज्ञाप्ति फरमाई जावे।

वही विचारण वाद 55/2002 अनवान मांगीलाल के कायम मुकाम बनाम हरदेव के कायम मुकाम जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.1997 को वाद संख्या 16/1989 अनवान हरदेव राम के कायम मुकाम वगैरा बनाम मांगीलाल के कायम मुकाम के साथ कंसोलिडेट कर दिया। वाद संख्या 55/2002 संक्षिप्त विवरण है कि खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा एवम् खसरा संख्या 231 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा मौजा नारनाडी स्थित है इस पर वादी बहैसियत खातेदार का तकार काबिज है। पहले यह जमीन वादी के पिता आईदानजी के वल्द हिमताजी के खातेदारी में थी उनकी मृत्यु के बाद म्यूटेशन जमाबंदी मे इंद्राज वादी का हो चुका है। वादी के पिता द्वारा लगान बराबर अदा किया गया। साथ ही संवत 2010 से गिरदावरी वादी के पिता आईदान वल्द हिमता के नाम से होती रही है। वादी के पिता ने कुआं खुदाई के लिए दी जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जोधपुर से 27.12.1971 को 5000 रुपये का एवम् इसी बैंक से 01.08.1972 को 5000 रुपये कुआं खुदाई के लिए और लिए। वादी ने जमीन मुतनाजा का इंप्रुमेन्ट एवम् खाद एवम् बीज हेतु नारनाडी ग्राम सहकारी समिति से ऋण लिया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जमीन मुतनाजा वादी के कब्जे काश्त कि भूमि है और वादी के पूर्वजो के समय से खातेदारी चली आ रही है। मौजुदा दावे हेतु मुतनाजा खसरा नम्बर 112 रकबा 83 बीघा के पूर्व कि तरफ 40 बीघा भूमि का है जिसके लिए दावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी ने एक फर्जी बैचाननामा दिनांक 28.05.1971 का खसरा नम्बर 112 रकबा 83 बीघा मे से पूर्व कि तरफ 40 बीघा भूमि का बैचान 5000 रुपये मे वादी के पिता आईदान द्वारा करना बता कर इसी आधार पर एक दावा धारा 88, 90 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 27.05.1983 को अदालत हाजा मे प्रस्तुत किया। वादी के पिता द्वारा जिन्दगी मे प्रतिवादी को जमीन मुतनाजा खसरा नम्बर 112 का कोई हिस्सा बैचान नही किया बैचाननामा दिनांक 28.05.1971 फर्जी एवम् नल व वोर्डड है। फर्जी बैचाननामे के आधार पर प्रतिवादी ने एक म्यूटेशन नम्बर 128 अपने हक मे भरवाया जो नारनाडी ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसहमति से दिनांक 14.12.1972 को कब्जे के अभाव मे खारीज किया। अतः जमीन मुतनाजा वादी कि खातेदारी कब्जेकाश्त कि भूमि है जिसका उपयोग उपभोग वादी कर रहे है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस अमर कि फरमाई जावे कि खेत खसरा नम्बर 112 के कब्जेकाश्त मे दखल न तो स्वयं करे तथा न किसी अन्य से करावे और खसरा नम्बर 112 का कोई भी हिस्सा किसी प्रकार से हस्तांतरण प्रतिवादी को नही करे।

उक्त वाद में वादी की ओर से गवाहों की गवाही रिकॉर्ड पर ली एवं प्रतिवादी की भी साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई एवं प्रतिवादी हरदेव राम द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया ।

यह है कि उक्त दोनों वादों को विचारण न्यायालय द्वारा कन्सोलिडेट दिनांक 02.04.1997 को कर दिये जाने से दोनों वादी की सुनवाई एक साथ होने तथा दोनों वाद संख्या 55/2002 अनवान मांगीलाल के कायम मुकाम बनाम हरदेव के कायम मुकाम एवं वाद संख्या 16/1989 अनवान हरदेव राम के कायम मुकाम वगैरा बनाम मांगीलाल के कायम मुकाम उक्त दोनों वादो की एक ही तनकियात कानूनन मानी जाने से जो तनकियात कायम की गई उसी अनुसार माननीय अपीलीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेशानुसार तनकीवार दोनों वादों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

वकील वादीगण (मांगीलाल के कायम मुकाम) द्वारा वाद पत्र में लिखे माफिक कथनों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2006 को प्रतिवादी हरदेवराम द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की जो राजस्व अपील संख्या 144/2006 अनवान हरदेव राम के कायम मुकाम बनाम मांगीलाल पुत्र सुखदेव के कायम मुकाम में निर्णय दिनांक 10.09.2012 को पारित किया गया। माननीय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील अपीलांट दिनांक 10.09.2012 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2006 को अपास्त कर निर्देश किया कि अपीलान्ट/प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत दावे को भी रेस्पोंडेन्ट्स के दावे के साथ निर्णय पारित किया जावे प्रत्येक तनकी का दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का स्पष्ट विवेचन कर तनकी व निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2012 को राजस्व मण्डल अजमेर में चैलेंज किया गया जो अपील/टी.ए./जोधपुर/5228/2013 अनवान मनीष चाण्डक बनाम हरदेव राम के कायम मुकाम में निर्णय दिनांक 02.08.2016 को पारित किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 10.09.2012 के आदेश को यथावत रखा गया बाद रिमाण्ड यह प्रकरण पुनः दर्ज किया गया जो राजस्व वाद संख्या 55/2022 है। उक्त वाद दर्ज करने के बाद प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये बाद तामिल उक्त पत्रावली को अपीलीय न्यायालय आदेश की पालना करते हुए पूर्व में कायमी तनकियात को दोनों दावों की तनकियात मानते हुए उक्त दोनों वाद वास्ते बहस में नियत किये गये उक्त अनवान के दावे में अन्य कोई आदेश बहस के अलावा पारित हो नहीं सकता तथा उक्त अनवान के दावों में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं रेवेन्यू बोर्ड ऑफ अजमेर के आदेशानुसार उक्त अनवान के दावे में दोनों दावों दिनांक 04.07.1997 को कंसोलिडेट हो चुके हैं तथा अदालत हाजा द्वारा निर्धारित तनकी व निर्णय पारित करने हेतु निर्देशों की पालना करते हुए वादी व प्रतिवादी का वाद दोनों एक साथ में निस्तारण करे।

आगे लिखित बहस और मौखिक बहस में वाद से संबंधित सारवान तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी पुखराज वगैरा के दादा आईदान पुत्र हिम्मता जाति जाट निवासी - ग्राम नारनाडी तहसील लूणी (पूर्व जोधपुर) जिला जोधपुर के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई थी उक्त भूमि में से रकबा 40 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.07.1971 को वादी के पिता/पौता स्व० मांगीलाल पुत्र सुखदेव जाति चाण्डक को बेचान कर दी जाकर बेचाननामा उप पंजीयक जोधपुर में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 374 पृष्ठ संख्या 327- 332 कम संख्या 1190 पर दिनांक 20.07.1971 को पंजीबद्ध करवा दिया गया बेचाननामों के आधार पर वादी के पिता मांगीलाल पुत्र सुखदेव के नाम से म्युटेशन संख्या 128 दिनांक 14.01.1992 को हल्का पटवारी नारनाडी द्वारा अमल दरामद किया गया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया तथा रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर मांगीलाल पुत्र सुखदेव उक्त भूमि रकबा 40 बीघा के स्वतः खातेदार हो गये चाहे मांगीलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ या नहीं रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर खरीददार मांगीलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकार नहीं होने के आधार पर खातेदार मांगीलाल के कोई हक व अधिकार समाप्त नहीं हुए है व स्वतः ही खातेदार हो जाने से उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि के स्वयं खातेदार हो गये एवं रेवेन्यू बोर्ड की निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वतः खातेदार माना जायेगा ।

राजस्व अपील अधिकारी व रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर ने अपने आदेश के तहत उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रत्येक तनकी का दस्तावेज व मौखिक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करे। उक्त निर्देशानुसार तनकियात संख्या 1 के संबंध में वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित है तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा एक दस्तावेजी साक्ष्य है। इस कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 व 92 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित मौखिक साक्ष्य गौण है तथा कानूनन वादी को अन्य साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है तथा वादी उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर धारा 54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर खातेदार हो चुका है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर ग्राम नारनाडी स्थित खेत खसरा संख्या 112 रकबा में से 40 बीघा भूमि 4000/- रुपये के बेचान के आधार पर रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी से वादी उक्त रकबा 40 बीघा भूमि पर बहिस्से मालिक काबिज है तथा कानूनन अगर रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया गया है तो भी रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर वादी राजस्व मण्डल के निर्णय नजीर एल बी बेंच में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय नजीर के अनुसार वादी उक्त भूमि का खातेदार माना जाएगा तथा कानूनन प्रतिवादी के दादा के द्वारा उक्त भूमि बेचान करने के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे तथा कानूनन एक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि बेचने के बाद कोई हक व अधिकार प्रतिवादी का नहीं रहता तथा वादी उक्त भूमि का खातेदार माना जाएगा तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत सबुत का भार प्रतिवादी पर है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत उपधारणा की जाएगी कि उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा खातेदार द्वारा ही निष्पादित किया गया है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत प्रतिवादी अपने पिता व दादा द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा से मुकर नहीं सकते तथा विबन्ध के सिद्धान्त के तहत बाध्य है। रजिस्टर्ड बेचाननामा जो वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया है जब तक रजिस्टर्ड बेचाननामा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार माना जाएगा। इस कारण वादी रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर स्वतः खातेदार हो चुका है। इस कारण कानूनन तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए वादी के पक्ष में खसरा संख्या 112 रकबा 40 बीघा मौजा नारनाडी का खातेदार घोषित किया जावे तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा निरस्त करने की म्याद तीन वर्ष होती है। जो व्यतीत हो चुकी है। इस कारण काफी वर्षों के बाद कानूनन उक्त बेचाननामा निरस्त हो सकता क्योंकि प्रतिवादी का उक्त दावा कानून से बाधित है तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा जो निष्पादित हुआ है उस पर बेचानकर्ता आईदान के पुत्र हरदेव राम प्रतिवादी स्वयं की साक्ष्य डाली हुई है। इस रजिस्टर्ड बेचाननामों से प्रतिवादी हरदेव पाबन्द है

खातेदारी घोषित होने की तनकी संख्या 1 रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। इस कारण तनकी संख्या 2 से 7 भी वादी के पक्ष में कानूनन निर्णित हो सकती है क्योंकि वादी विवादग्रस्त खेत पर रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर उसकी खुदकाशत भूमि है। इस कारण तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में निर्णित करना न्यायोचित है तथा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी ने वाद के पद संख्या 3 के कर्ज की आधा रकम चुका देने पर मशीनों व बेरे में आधा मालिक होने का इकरार किया था परन्तु उक्त शर्त की भूमि पालना नहीं की है। इस कारण तनकी संख्या 6 वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए प्रतिवादी का बेरे व मशीन में आधा मालिक होने का इकरार नहीं है तथा वादी रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर खातेदारी घोषणात्मक आज्ञापति बाबत विक्रय की गयी जमीन की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस कारण उक्त तनकी वादी के पक्ष में घोषित करते हुए वादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाए तथा रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर यदि प्रतिवादी के विरुद्ध वाद की पद संख्या 8 के विरुद्ध दादरसी माफिक हुकुम इमानाई की आज्ञापति प्राप्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखी

करने का अधिकारी है। इस कारण तनकी संख्या 7 वादी के पक्ष में निर्णित की जाए। इस कारण कानूनन वादी के पक्ष में 1 से 7 तनकियात निर्धारित की जाये।

इस प्रकार तनकी संख्या 8 अन्य दादरसी वादी, प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रतिवादी के दादा व पिता उक्त भूमि के खातेदार होने के आधार पर रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर उक्त विवादित भूमि में से रकबा 40 बीघा भूमि का वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित करने के कारण वादीगण उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 47 के तहत उक्त भूमि के रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर स्वतः खातेदार हो चुके हैं तथा प्रतिवादीगण के पिता व दादा के द्वारा उक्त भूमि का बेचान हो चुका है। इस कारण प्रतिवादीगण उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों से पाबन्द हैं तथा कानूनन उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित होने के बाद उक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे हैं। इस कारण खातेदारी के अभाव में धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है तथा घोषणा के दावे के अभाव में अकेला स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के संबंध में आज दिन तक खातेदारी घोषणा का दावा नहीं लगाया है तथा वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामों को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है जिसकी तीन वर्ष की म्याद भी चली गयी है। इस कारण प्रतिवादी का धारा 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम का दावा कानूनन डिकी के योग्य नहीं है क्योंकि कानून का तयसुदा सिद्धान्त है कि खातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस कारण प्रतिवादी का वाद उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर खारिज करने योग्य है साथ ही मौखिक बहस के साथ न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये जिससे उक्त वाद वादी के पक्ष में निस्तारित होने एवं उक्त नजीरे हस्तगत वाद पर चस्पा होने का मौखिक कथन किया गया। उक्त नजीरे शामिल पत्रावली की गयी।

वकील प्रतिवादीगण (हरदेव के कायम मुकाम) की बहस वास्ते पत्रावली में दिनांक 06.02.2024, 19.02.2024, 29.04.2024, 30.04.2024, 29.07.2025, 01.08.2025, 06.08.2025, 13.08.2025, 14.08.2025, 01.09.2025, 03.09.2025 एवम् 08.09.2025 को अंतिम बहस वास्ते अवसर प्रदान किये गये किंतु प्रतिवादी द्वारा बारंबार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया किंतु न्यायालय के अभिमत में अंतिम बहस के स्तर पर निरंतर निरर्थक एवम् सारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना न्यायालय कि कार्यवाही में बाधा डालने के समान है जो नैसर्गिक न्याय कि अवधारणा का उल्लंघन करने जैसा है। प्रतिवादी अधिवक्ता को अंतिम बहस वास्ते अनेक अवसर प्रदान करने पर भी निरंतर वाद को लंबित करने कि नियत से निरर्थक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस से बचने का प्रयास किया जा रहा है जो **waiver of right to argue** कि श्रेणी में आता है एवम् अंतिम बहस से बचने हेतु बार बार कि देरी न्यायहित में उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के निर्णय **M Krishnappa v/s Mensamma 2020** में स्पष्ट किया है कि अंतिम बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर बहस से बचने के प्रयास करने पर एक पक्षीय स्थिति माना जाकर और शून्य बहस के आधार पर निर्णायक आदेश पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कि धारा 151 **"Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court"** से स्पष्ट है कि यदि पक्षकार के द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है तो न्यायालय न्यायहित में आदेश पारित कर सकती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सारहीन एवम् निरर्थक प्रार्थना पत्र बारंबार प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि दिनांक 09.09.2025 को प्रतिवादी कि बहस का अवसर समाप्त करने के उपरांत पत्रावली वास्ते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखी

आदेश मे रखे जाने पर भी दिनांक 10.09.2025 को प्रतिवादी द्वारा 3 प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 2 व 5 सपठित धारा 151 सीपीसी एवम् प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने कि मंशा को दर्शाता है। अतः प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.09.2025 को प्रस्तुत सभी प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी द्वारा न्यायालय को प्रदत्त अंतरनिहित शक्ति जो प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकती है के आधार पर सभी प्रार्थना पत्रों को पार्ट डी मे रखे जाते है। अतः प्रकरण मे वादी अधिवक्ता कि लिखित बहस, प्रतिवादी अधिवक्ता कि शून्य बहस, वाद मे गवाहो के बयान एवम् प्रस्तुत दस्तावेजों आदि के अवलोकन एवम् परिशीलन के उपरांत तनकीवार वाद का निस्तारण किया जा रहा है।

तनकी संख्या 1 – आया मुतवफी वादी आईदान ने बमुकाम नारनाडी स्थित खेत खसरा संख्या 112 में से 40 बीघा रूपये 4000/- रूपये में बेचान रजिस्ट्री कराके कब्जा सुपुर्द कर दिया तभी वादी उक्त 40 बीघा भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज है ।

राजस्व अपील अधिकारी एवं रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर ने अपने आदेश में उपखण्ड अधिकारी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रत्येक तनकी का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करे। उक्त निर्देशानुसार तनकी संख्या 1 के संबंध में वादी के पक्ष में प्रतिवादी के दादा/पिता के स्वयं द्वारा रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित है तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा दस्तावेजी साक्ष्य है। इस कारण (साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 व 92) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 94 व 95

“Section 94 - “ When the terms of a contract, or of a grant, or any other disposition of property, have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property, or of such matter, except the document itself, or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions hereinbefore contained.”

एवं

“Section 95 Exclusion of evidence of oral agreement “ When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document, have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, as between the parties to any such instrument or their representatives in interest, for the purpose of contradicting, varying, adding to, or subtraction from, its terms.”

के तहत लिखित दस्तावेजो कि शर्तो का प्रमाण केवल लिखित दस्तावेजो से ही होगा एवम् लिखित दस्तावेजो कि शर्तो को मौखिक साक्ष्यो से बदला नही जा सकता। अर्थात दस्तावेजी

साक्ष्य के विपरित मौखिक साक्ष्य गौण है। इस कारण मौखिक साक्ष्य का उल्लेख करने की कानूनन आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौखिक साक्ष्य के आधार पर कानूनन खातेदारी नहीं दी जा सकती तथा कानूनन वाद को अन्य साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है तथा कानूनन जब तक रजिस्टर्ड बेचाननामा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यानि सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वादी रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर सम्पति अंतरण अधिनियम 1882 की

"Section 54 Sale_defomed - Sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part-paid and part-promised."

के तहत भी रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अगर रजिस्टर्ड बेचाननामा है तो (साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119 Court may presume existence of certain facts के तहत न्यायालय उपधारणा करेगा कि उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया है तथा वादी उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर ग्राम नारनाडी स्थित खेत खसरा संख्या 112 रकबा में से 40 बीघा भूमि 4000/- रुपये के बेचान के आधार पर रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादी उक्त भूमि रकबा 40 बीघा पर बहैसियत मालिक काबिज है तथा कानूनन रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत नहीं किया है तो भी वादी बेचान के आधार पर मालिक माना जायेगा तथा कानूनन प्रतिवादी के दादा/पिता के द्वारा उक्त भूमि के रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर प्रतिवादी उक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे क्योंकि प्रतिवादी के दादा/पिता ने अपनी खातेदारी भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा वादी मांगीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित कर दिया। कानूनन एक खातेदार को भूमि बेचने के बाद उसका उस भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रहता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 (साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115)

"Estoppel- When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing."

के तहत प्रतिवादी अपने दादा/पिता द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा से मुकर नहीं सकते तथा विबंध (एस्टोपल) के सिद्धान्त से बाधित है। इस कारण कानूनन तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए वादी को खसरा संख्या 112 रकबा 40 बीघा मौजा नारनाडी का खातेदार कानूनन घोषित करने योग्य है इस कारण निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामा निरस्त नहीं हो सकता तथा उक्त बेचाननामा में बेचानकर्ता का लड़का प्रतिवादी हरदेव स्वयं ने रजिस्टर्ड बेचाननामों पर साख डाली है। इस कारण प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामों से बाध्य है अर्थात् पाबन्द है रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर मांगीलाल पुत्र सुखदेव उक्त भूमि

के स्वतः खातेदार हो गये हैं तथा रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार नहीं होने पर वादी मांगीलाल का हक व अधिकार कानूनन समाप्त नहीं हो सकता वह स्वतः खातेदार हो जाने से उसकी मृत्यु के बाद वादी उक्त भूमि के स्वतः खातेदार हो गए हैं ।

तनकी संख्या 2 – आया वादी ने खरीदसुदा जमीन पर बेरा खुदवाया, बंधवाया, हौद बनाया, मशीन घर बनाया एवं विद्युत विभाग से 15 एच.पी. का बिजली का कनेक्शन अपने नाम से लगवाया जिसका वादी को वाद के पद संख्या 3 में दर्ज रूपये 71504/- लागत आई ।

वादी ने उक्त तनकी साबित करने के लिए न्यायालय में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये सभी गवाहों ने अपने बयानों में वादी द्वारा खरीदसुदा, जमीन पर बेरा खुदवाया, बंधवाया, हौद बनाया, मशीन घर बनाया एवं विद्युत विभाग से 15 एच.पी. का बिजली का कनेक्शन अपने नाम का लिया इस सब कार्य में संबंध में वादी ने करीब 71504/- रूपये खर्च किये तथा विद्युत कनेक्शन लेने संबंधी व बिजली विभाग संबंधित कागजात पेश किये वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य व दस्तावेज साक्ष्य बिल वगैरा भी पेश किये उक्त दस्तावेज एवं कथनों को गलत साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहने तथा स्वयं प्रतिवादी द्वारा बिजली कनेक्शन होने का कथन करने से वादी के कथनों को सही ठहराया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-7 से 39 के अवलोकन से तनकी संख्या 2 की सिद्धि होती है तथा उक्त तनकीयात नं. 2 मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य के द्वारा पूर्णतया वादी ने साबित की इस कारण उक्त तनकी संख्या 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 – आया वाद के पद संख्या 4 में दर्ज शर्तों के अनुसार विवादग्रस्त खेत पर खुद काशत की ।

उक्त तनकी विवादग्रस्त खेत पर बेरा खुदवाया है कि नहीं जबकि वाद का उक्त दावा खुद काशत भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का दावा नहीं था तथा वादी का दावा अन्य खातेदार की भूमि के कारण मालिकाना अधिकार रखने वाले खातेदार से उक्त भूमि खरीदी थी । इस कारण इस विवादित भूमि बेचान के आधार पर वादी उक्त भूमि का कानूनन खातेदार हो गया था इस कारण वादग्रस्त भूमि वादी की खुदकाशत भूमि होने के संबंध के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा पेश नहीं किया है यदि खुदकाशत नहीं भी की है तो **Adverse Possession** के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती इस कारण कानूनन तनकी संख्या 3 का कानूनन कोई औचित्य नहीं रहता । इस कारण वादी के पक्ष में कानूनन बिन्दू पर तनकी संख्या 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 – आया प्रतिवादी ने वाद के पद संख्या 5 माफिक नुकसान बताकर अनुबन्ध को भंग किया ।

तनकी संख्या 4 का भार वादी को डाला गया वादी और प्रतिवादी के बीच में मौके पर काशत करने संबंधी सीमा निर्धारित की थी परन्तु प्रतिवादी ने उस अनुबन्ध की पालना नहीं की तथा जानबुझकर उक्त अनुबन्ध भंग करने की चेष्टा की है तथा जानबुझकर फसल संबंधी कोई नुकसान नहीं होने के बावजूद झूठ व गलत तथ्य बताकर फसल का नुकसान बताकर अनुबन्ध भंग की चेष्टा बताई है इससे यह स्पष्ट है कि वादी ने जो अनुबन्ध किया वो मान भी लिया जाए की यदि अनुबन्ध भंग हुआ है तो उसमें खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रतिवादी एस्टोपल के सिद्धान्त से बाध्य है ऐसे में तनकी संख्या 4 का कानूनन कोई औचित्य नहीं रहता है । इस कारण तनकी संख्या 4 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

तनकी संख्या 5- आया प्रतिवादी ने वाद के पद संख्या 3 के खर्च की आधी रकम चुका देने पर मशीनों व बेरे में आधा मालिक होने का इकरार किया।

तनकी संख्या 5 के संबंध में प्रतिवादी ने न्यायालय में इस बिन्दू के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया तथा उक्त तनकी के आधार पर पूर्णतया यह साबित होता है कि वादी द्वारा मौके पर खर्च किया जाना माना है इस कारण आधी रकम चुका देने पर मशीनों व बेरे में आधा मालिक होने का इकरार किया है इससे स्पष्ट ताईद होता है कि वादी द्वारा ही मशीनों व बेरा खुदवाया है व अन्य खर्चा किया है इस कारण उक्त तनकी में प्रतिवादी ने मंजूर किया है कि जो आधी रकम चुका देने पर मशीनों व बेरे में आधा मालिक होना इकरार करना बताया है। प्रतिवादी के स्वयं के एडमिशन के आधार पर सम्पूर्ण खर्च कर मशीनें लगवाई व बेरा खुदवाया प्रतिवादी का उक्त कथन सरासर झूठा है कि वादी द्वारा खर्च किये गये खर्च की आधी रकम भुगतान करने पर मालिकाना हक संबंधी कोई इकरार वादी ने प्रतिवादी से नहीं किया है तथा प्रतिवादी ने मशीनों व बेरे में आधी रकम देने व मालिक होने संबंधी न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये तथा इस कारण तनकी संख्या 5 भी वादी के पक्ष में निर्णित की है।

तनकी संख्या 6 - आया वाद घोषणात्मक आज्ञापति बाबत् विक्रय की गई जमीन की खातेदारी पाने का अधिकारी है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 (साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115)

“Estoppel- When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.”

के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने कथन, आचरण या चुप्पी द्वारा किसी अन्य को किसी तथ्य पर विश्वास दिलवाता है और दुसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके कुछ कार्य कर लेता है तो बाद में वह व्यक्ति अपने पहले कथन/आचरण को खण्डन नहीं कर सकता। तनकी संख्या 6 खातेदारी घोषणा संबंधी है तथा रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी स्वतः ही काश्तकार हो गया एवं वादी द्वारा जो मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं उससे यह पाया जाता है कि वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननाम के भूमि का कय किया गया है हमारे सामने यह बात भी आई है कि वादी द्वारा जिस भूमि को कय किया गया है उस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है और इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा कि रजिस्ट्री के आधार पर आईदान के जीवनकाल में कोई प्रयास नहीं किया गया और आईदान के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से भरा गया। जिसकी अपील आदि होना भी पत्रावली पर है। इन सबसे सर्वोपरि यह है कि वादी द्वारा आईदान से भूमि कय की गई एवं कय की गई भूमि में बेरा भी खुदवाया गया इस संबंध में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह बात मानने योग्य है कि जो बेरा खुदवाया गया है उसमें बिजली के कनेक्शन के कागजात और बेरे के संबंध में हुए खर्च के कागजात पेश किये गये हैं। दोनों ही स्थिति में यह प्रमाणित हो रहा है कि वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि का कय

सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणौ

किया गया एवं मौके पर बेरा भी खुदवाया गया ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 की सिद्धि के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादी द्वारा तनकी संख्या 6 को सिद्ध किया है। लिहाजा तनकी संख्या 6 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7- आया वादी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद के पद संख्या 8 माफिक हुकम इम्तनाई (प्रतिबंधित करने वाला) की आज्ञापति पाने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 7 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है क्योंकि प्रतिवादी के दादा/पिता ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित कर दिया था। इस कारण प्रतिवादी वारिसान होने के उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों से पाबन्द है तथा रजिस्टर्ड बेचान होने के बाद प्रतिवादी उक्त भूमि के कानूनन खातेदार नहीं रहे। इस कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के लिए खातेदार होना कानूनन आवश्यक है तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी खातेदार है तथा प्रतिवादी रजिस्टर्ड बेचान होने के पश्चात उक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे। इस कारण प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा पारित करवाने के अधिकारी नहीं है। इस कारण तनकी संख्या 7 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध कायम की जाती है।

तनकी संख्या 8- दादरसी - दादरसी वादी प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रतिवादी के दादा/पिता उक्त भूमि के खातेदार होने के आधार पर रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर उक्त विवादित भूमि में से रकबा 40 बीघा भूमि का वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित करने के कारण वादीगण उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के तहत तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 47 के तहत उक्त भूमि के रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर स्वतः खातेदार हो चुके हैं तथा प्रतिवादी के दादा/पिता के द्वारा उक्त भूमि का बेचान हो चुका है। इस कारण प्रतिवादी उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामों से पाबन्द है तथा कानूनन उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित होने के बाद उक्त भूमि के खातेदार नहीं रहे हैं। इस कारण खातेदारी के अभाव में धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है तथा घोषणा के दावे के अभाव में अकेला स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के संबंध में आज दिन तक खातेदारी घोषणा का दावा नहीं लगाया है तथा वादी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामों को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है जिसकी तीन वर्ष की म्याद भी चली गयी है। इस कारण प्रतिवादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा कानूनन डिकी के योग्य नहीं है क्योंकि कानून का तयसुदा सिद्धान्त है कि खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस कारण तनकी संख्या 8 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध कायम की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तमाम तनकियात निर्णित हो जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजस्व मूल वाद संख्या 16/89 बअनवान हरदेव बनाम मांगीलाल खारिज किया जाता है तथा हरदेव द्वारा प्रस्तुत राजस्व मूल वाद संख्या 16/89 अनवान हरदेव बनाम मांगीलाल के वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत उक्त तमाम तनकियात एवं प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचाननामों एवं प्रदर्शो से तथा बहस पर मनन करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची की जब तक रजिस्टर्ड बेचाननामा कौंसिल नहीं करवाया गया हो तथा रजिस्टर्ड बेचाननामों के आधार पर खातेदारी हक साबित होने के उपरान्त एवं तमाम तनकियात प्रतिवादी मांगीलाल के पक्ष में निर्णित होने पर वाद बाबत खातेदारी एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व मूल वाद 2031/83 वादी मांगीलाल के पक्ष में एवम् प्रतिवादी हरदेव के खिलाफ

निर्णित किया जाता है एवम् मूल वाद 2031/83 अनवान मांगीलाल बनाम हरदेव स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार निर्णित किया जाता है :-

-:: आदेश :: -

रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.07.1971 मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 374 पृष्ठ संख्या 327/332 कम संख्या 1190 सब रजिस्ट्रार जोधपुर द्वारा पंजीबद्ध है के अनुसार वादी को मौजा नारनाडी के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा में से पूर्व की तरफ 40 बीघा भूमि का जिसके पडौस उत्तर में खसरा नम्बर 111, दक्षिण में खसरा नम्बर 113 व 114, पूर्व में खसरा नम्बर 184, पश्चिम में इसी खेत का खसरा नम्बर 112 का शेष हिस्सा यानि रजिस्टर्ड बेचाननामा के अनुसार खातेदार का तकार घोषित किया जाता है ।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी की जाती कि वादी को उसके कब्जे काश्त व बेरे के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलदांजी करे और ना ही किसी अन्य से करावे साथ ही वादी के नाम घोषित खातेदारी के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा भूमि पर हाजा/विचारण न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो डिकी अधीन रकबे 40 बीघा वादी के नाम घोषित खातेदारी भूमि की सीमा तक उक्त जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया वादीगण और प्रतिवादीगण खर्चा अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

पुखराज कसोटिया आर.ए.एस.

उपखण्ड ~~अधिकारी~~ ~~कलक्टर~~ ~~उपखण्ड अधिकारी~~ लुणी

निर्णय आज दिनांक 10.9.2025 को सर्वे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लुणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

डिकरी बमुकदमें इब्दाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसीटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 37/2022 (मूल वाद संख्या 2031/1983)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र सुखदेव के कायम मुकाम - 1. धीरज चन्डक पुत्र ओमप्रकाश, जाति चन्डक माहेश्वरी निवासी - बगतावरमल जी का बाग, शनिश्चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर		हरदेव के कायम मुकामान - 1. पुखराज पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम जाट 2. दीपाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम जाट 3. रामाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 4. ओमाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 5. माधाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 6. गोपाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 7. सिणगारी पत्नी स्व0 श्री हरदेवराम 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी (झंवर)

राजस्व वाद संख्या 55/2002 मूल वाद संख्या 16/1989

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हरदेव के कायम मुकामान - 1. पुखराज पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम जाट 2. दीपाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम जाट 3. रामाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 4. ओमाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 5. माधाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 6. गोपाराम पुत्र स्व0 श्री हरदेवराम 7. सिणगारी पत्नी स्व0 श्री हरदेवराम		मांगीलाल पुत्र सुखदेव के कायम मुकाम - 1. धीरज चन्डक पुत्र ओमप्रकाश, जाति चन्डक माहेश्वरी निवासी- बगतावरमल जी का बाग, शनिश्चर जी का थान, चौपासनी रोड़, जोधपुर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

उक्त दोनों वाद अंतर्गत धारा 88, 90 सपठित धारा 92-ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह आज मुकदमे वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

राजस्व मूल वाद संख्या 16/89 बअनवान हरदेव बनाम मांगीलाल खारिज किया जाता है तथा वाद बाबत खातेदारी एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व मूल वाद 2031/83 अनवान मांगीलाल बनाम हरदेव स्वीकार किया जाकर रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.07.1971 मे पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 374 पृष्ठ संख्या 327/332 कम संख्या 1190 सब रजिस्ट्रार जोधपुर द्वारा पंजीबद्ध है, के अनुसार वादी को मौजा नारनाडी के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा में से पूर्व की तरफ 40 बीघा भूमि का जिसके पडौस उत्तर में खसरा नम्बर 111, दक्षिण में खसरा नम्बर 113 व 114, पूर्व में खसरा नम्बर 184, पश्चिम में इसी खेत का खसरा नम्बर 112 का शेष हिस्सा यानि रजिस्टर्ड बेचाननामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी की जाती कि वादी को उसके कब्जे काश्त व बेरे के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलदांजी करे और ना ही किसी अन्य से करावे साथ ही वादी के नाम घोषित खातेदारी के खसरा संख्या 112 रकबा 83 बीघा भूमि पर हाजा/विचारण न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो डिक्री अधीन रकबे 40 बीघा वादी के नाम घोषित खातेदारी भूमि की सीमा तक उक्त जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय
सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....
.....को अदा करें। 10.09.2025
बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख को जारी की गई।

(पुखराज कांसोटिया RAS)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	-		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाचन	-	-

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
लूणी